कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याःएम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 1706 लखनऊ दिनांक 24.8.2024

यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत च्वाइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यकम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से भी प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।***
- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक / गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Fill करें।
- रिट याचिका संख्या–6828 / 2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साइन्सेज कालेज वेलफेयर एसोसियएशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2024 के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2024 / 1667 दिनांक 17.8.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त सूचना के अवलोकनोंपरांत ही च्वाइस फिल एवं लॉक करें।
- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत प्रथम चक की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियो तक जमा की गयी है तथा बैंक द्वारा एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपडेट हो गयी है एवं उनके Documents Online Verification के उपरान्त वैध पाये गये है, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमे किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।
- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।